जैविक खेती को बढ़ाने में सरकार की योजनाएं

सघन कृषि एवं अधिक लाभ कमाने के लिए खेती में अन्धाधुन्द रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक रसायनों, खरपातवारनाशियों, वृद्धि कारकों (हार्मोन्स) का उपयोग करने से मृदा एवं मानव स्वास्थ्य में गिरावट आई है। पर्यावरण का निरन्तर ह्रास हो रहा है। रासायनिक खेती एवं मशीनीकरण से खेती की लागत बढ़ रही है, कृषक को अपनी मेहनत का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अतः स्वस्थ जीवन के लिए जैविक कृषि अपनाना ही एक मात्र विकल्प है।

भारत में आदिकाल से ही जैविक खेती होती आ रही है। सर्वप्रथम सन् 1972 में फ्रांस तथा 1997 में भारत में अन्तर्राष्ट्रीय जैविक खेती आन्दोलन संघ (आइफोम) की स्थापना हुई राष्ट्रीय स्तर पर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ ओर्गेनिक फार्मिंग (नियोफ) का गठन किया गया।

जैविक खेती उत्पादन का वह तरीका है जिसमें जैविक अवशेषों का अधिकतम उपयोग किया जाये और रासायनिक कृषि आदानों के बढ़ावे को रोका जा सके ताकि मृदा की उत्पादकता एवं उर्वरता टिकाऊपन की दृष्टि से बनी रहें।

नेशनल मिशन फोर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर - वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (RADP)

वर्षा आधारित क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु इस मिशन के अन्तर्गत वर्षा आधारित क्षेत्रों का विकास ऑन फॉर्म जल प्रबन्धन, मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धित घटकों को सम्मिलित किया गया है। मिशन का उद्देश्य कृषि को समन्वित कृषि पद्धति द्वारा उपजाऊ, टिकाऊ, लाभकारी तथा जलवायु सहनशील बनाना एवं मृदा एवं नमी संरक्षण द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण है। यह कार्यक्रम राज्य के सभी जिलों में समन्वित कृषि पद्धति की उपयुक्तानुसार क्लस्टर तैयार कर क्रियान्वित किया जा रहा है। मिशन का क्रियान्वयन क्लस्टर एप्रोच आधारित होगा जिसमें 100 हैक्टर या अधिक क्षेत्र एवं गांव अथवा आस–पास के लगातार या अलग–अलग गांव/ढ़ाणियों को सम्मिलित किया जायेगा। कृषि उद्यानिकी आधारित, पशुपालन आधारित कृषि पद्धति, बकरी/भेड़/मुर्गी आधारित कृषि पद्धति, वृक्ष/पेड़ आधारित कृषि पद्धतियों को अपनाकर अकाल/अतिवृष्टि के दौरान विपरित परिस्थितियो में भी कृषकों को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकेगा। समन्वित कृषि पद्धति के साथ सहायक गतिविधियां जैसे फॉर्म पोण्ड का निर्माण, वर्मीकम्पोस्ट इकाई, मृदा सुधार, मधुमक्खी पालन, लो–टनल पोली हाऊस/ग्रीन हाऊस को अपनाकर कृषको द्वारा अधिक लाभ प्राप्त किया जाता है। पशुपालन हेतु गाय/भैंस के लिए लागत का 50 प्रतिशत या 40,000/– रूपये, भेड़ व बकरी तथा मुर्गी के लिए लागत का 50 प्रतिशत अथवा 25,000/– रूपये, उद्यानिकी हेतु लागत का 50 प्रतिशत या 25,000/– रूपये, सिलवीपास्चर हेतु लागत का 50 प्रतिशत या 15,000/– रूपये, मछली पालन हेतु लागत का 50 प्रतिशत या 25,000/– रूपये तथा पेड़ आधारित गतिविधियों हेतु लागत का 50 प्रतिशत या 15,000/– रूपये प्रति हैक्टर का प्रावधान है।

राज्य योजनान्तर्गत फारमर्स फील्ड स्कूल आधारित जैविक खेती प्रदर्शन/प्रशिक्षण कार्यक्रम

जैविक खेती कार्यक्रम के अन्तर्गत रसायनों का प्रयोग किये बिना, जैव उत्पादों को फसल उत्पादन तकनीक में अपनाकर फसल उत्पादन किया जाता है। कार्यक्रम के क्रियान्वयक हेतु कृषकों का चयन कर प्रदर्शन का आयोजन कॉम्पेक्ट रूप में प्रति कृषक 0.4 हैक्टर इकाई क्षेत्र में किया जाता है। प्रदर्शन एक ही खेत पर खरीब व रबी में लगातार आयोजित किये जाते हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषको को बीज, जैविक आदान यथा वर्मी कम्पोस्ट/जैव उर्वरक (Bio-Fertilizer)/जैवनाशी/जैव कारक, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोग्रामा, एन.पी.वी. ट्रेप, लाईट ट्रेप आदि की कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 2000/– प्रति प्रदर्शन, जो भी कम हो, अनुदान देय होगा। कृषकों को प्रभावी तौर पर जैविक फसल उत्पादन तकनीकों की जानकारी देने हेतु एक परामर्श फील्ड स्कूल प्रशिक्षण का आयोजन प्रति 5 प्रदर्शनों पर किया जायेगा।

राज्य योजनान्तर्गत जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम

फसल उत्पादन व उत्पादकता को दीर्घकालीन तथा टिकाऊ बनाने, पर्यावरण को प्रदूषित किये बिना रसायन मुक्त जैविक उत्पादन प्राप्त करने एवं उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार लाने एवं कृषकों को जैविक उत्पाद का अधिक मूल्य प्राप्त हो सकें, इस हेतु राज्य योजना के अन्तर्गत जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम राज्य में अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सिरोही, झालावाड़, बारां, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिलों में लिया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन क्लस्टर एप्रोच आधारित होगा। प्रत्येक क्लस्टर में 50 हैक्टर क्षेत्रफल होगा। चयनित खेत में कृषक द्वारा लगातार 3 वर्ष तक खरीफ एवं रबी सीजन में फसलों की खेती जैविक क्रियाओं से ही की जायेगी।

जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिये किसानों को विभिन्न फसलों के उत्पादन पर प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है, जो कि अधिकतम रूपये 8000/– प्रति कृषक प्रति हैक्टर प्रति वर्ष विभिन्न गतिविधियों हेतु देय होगी, जिसमे 2000/– रूपये खरीफ फसल की कटाई उपरान्त तथा शेष 3000/– रूपये रबी फसल के लिए माह जनवरी/फरवरी में किसान द्वारा जैविक खेती करने पर दिया जायेगा तथा शेष राशि पंजीकरण एवं प्रमाणीकरण शुल्क हेतु देय होगी। प्रोत्साहन राशि 0.5–2.0 हैक्टर क्षेत्र में जैविक क्रियाओं के आधार पर जैविक खेती करने वाले कृषकों को देय होगी। 1.0 हैक्टर से कम क्षेत्रफल में जैविक खेती करने पर उसी अनुपात में प्रोत्साहन राशि कम देय होगी। कृषक का कृषि एवं प्रसंकृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA), भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी प्रमाणिकरण संस्था से पंजीकृत होना आवश्यक है। पंजीकरण हेतु कृषक के द्वारा सम्बन्धित उप निदेशक, कृषि (वि.) के माध्यम से या प्रमाणिकरण संस्था से सीधे ही सम्पर्क कर आवेदन किया जा सकता है। प्रोत्साहन राशि का भुगतान पंजीकृत कृषक को प्रमाणिकरण संस्था से प्रदत्त प्रमाण–पत्र के आधार पर किया जायेगा तथा प्रमाणिकरण प्रमाण–पत्र जारी करने में संस्था द्वारा विलम्बर किया जाता है तो प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्रमाणिकरण संस्था की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर भी किया जा सकता है।

कृषकों को जैविक खेती की तकनीकी जानकारी प्रभावी तौर पर प्रदान करने हेतु कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा। एक दिवसीय प्रक्षेत्र प्रशिक्षण हेतु 50 कृषकों के लिये राशि 5000 रूप्ये का प्रावधान किया गया है।

परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY)

परम्परागत कृषि विकास योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2015–16 से किया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत 37750 एकड़ (15100 हैक्टर) क्षेत्र में गतिविधियां क्रियान्वित किये जाने का प्रावधान है। एक क्लस्टर 50 एकड़ क्षेत्र का होगा। एक क्लस्टर मे 50 कृषकों की भागीदारी होगी जिसमें प्रत्येक कृषक एक एकड़ क्षेत्र में कृषि गतिविधि ले सकता है। इस योजनान्तर्गत मुख्य रूप से क्लस्टर्स का निर्माण, क्लस्टर एक्सपोजर विजिट, कृषक प्रशिक्षण, एल.ओ.पी. का चयन एवं प्रशिक्षण, मृदा नमूनों का संग्रहण एवं प्रोत्साहन राशि का प्रावधान, तरल बायोफर्टिलाइजर का उपयोग एवं वर्मीकम्पोस्ट इकाई का निर्माण आदि गतिविधियां की जायेगी।

CUTS® International

सहयोग से:

Swedish Society for Nature Conservation

कट्स सेन्टर फॉर कन्ज्यूमर एक्शन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग

डी–218 ए, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.2282821/513 3259, फैक्सः 2282485/4015395

ई–मेलः proorganic@cuts.org; वेबसाईटः www.cuts-international.org/CART/proorganic-II

“This document has been produced with the financial contribution by the Swedish International Development Co-operation Agency (SIDA) through the Swedish Society for Nature Conservation, (SSNC). The views herein shall not necessarily be taken to reflect the official opinion of SSNC or its donors.”

जून 2019